an>

Title: Further discussion on the Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Insertion of new Article 16A) moved by Shri Mohan Singh on 24.08.2007. (Discussion not concluded)

MR. CHAIRMAN : Now, we are taking item no. 38 − further consideration of the Motion moved by Shri Mohan Singh.

Shri Shailendra Kumar.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, आदरणीय मोहन सिंह जी द्वारा पेश किए गए संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन) पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मोहन सिंह जी ने इस विधेयक को पेश करते हुए बहुत अच्छे विचार सदन में व्यक्त किए थे। मैं यह बात पुरजोर तरीके से सरकार से कहना चाहूंगा कि इसे संविधान का मौलिक आधार बनाकर प्रस्तुत किया जाए। खासकर मैं इस विधेयक पर जोर देना चाहूंगा।

महोदय, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारतवर्ष में चार करोड़ के करीब बेरोजगार हैं। इस विषय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का विशेष ध्यान अभी तक नहीं गया है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन उन्हें सही अर्थों में अमलीजामा नहीं पहनाया जाता है और न ही कारगर तरीकों से उन कार्यक्रमों या योजनाओं को लागू किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। सदन के सभी पक्षों के सदस्य इस बात से काफी चिंतित भी हैं।

राज्यों में जहां भी रोजगार कार्यालय होते हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान निराशा और हताशा के वातावरण में जब वहां पंजीकरण के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत कम विश्वास होता है कि रोजगार मिल पाएगा। राज्यों और केन्द्र में सरकारों द्वारा जिन विभागों में तमाम रोजगार के जो संसाधन हैं या खाली पद हैं, उन्हें भरने की कोशिश नहीं हो रही है। समय-समय पर देखा गया है, इस सदन में हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित पदों को भरने के ऊपर चर्चा करते हैं, लेकिन उन पदों को भरने का काम विभिन्न सरकारों द्वारा नहीं किया जाता है। जब नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं होगा, तो उनकी प्रवृत्ति अपराध की ओर बढ़ेगी। बहुत से ऐसे नवयुवक हैं, जिनके माता-पिता ने उन्हें बड़ी मुश्किल से पढ़ाया-लिखाया, इसलिए कि वे आगे चलकर कोई नौकरी करके परिवार के संसाधनों का स्रोत बनेंगे, लेकिन जब उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, तो वे फिर अपराध करने पर विवश हो जाते हैं। बहुत से नौजवान तो रोजगार नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या करने को भी विवश हो जाते हैं। इसलिए हमें शिक्षा को रोजगारपरक बनाना होगा। जब छात्र इंटर कालेज, डिग्री कालेज से निकलकर विश्वविद्यालय जाए, तो उसकी जैसी मंशा हो, उसे वैसी रोजगारपरक शिक्षा दी जाए। इससे उस नौजवान को आगे चलकर अपने काम में महारत होगी और वह रोजगार पा सकेगा। अगर ऐसा हो पाएगा, तो हम बेरोजगारों को रोजगार देकर बेरोजगारी पर काबू पा सकते हैं।

हमारे देश में यह भी देखने में आता है कि कई अपराधों में जो लोग पकड़े जाते हैं, उनमें अधिकांशतः पढ़े-लिखे और सभ्रांत परिवारों के बच्चे होते हैं। ऐसे नवयुक अपहरण और फिरौती के अपराधों में ज्यादा लिप्त पाए जाते हैं। देश में चाहे उग्रवाद की समस्या हो या नक्सलवाद की, इसमें भी मूल कारण बेरोजगारी ही है। उनके हाथों में रोजगार नहीं होने के कारण उनका जीवन स्तर और घर की स्थिति खराब होने के कारण वे गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। [R6]

सभापति महोदय, माननीय श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं और इस बिल को बल देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत कम पैसे की इसमें व्यवस्था की गयी है। आप इसमें प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करें, ताकि जो नौजवान बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे सकें तो अच्छा है, नहीं तो उन्हें आप बेरोजगारी भत्ता दे सकें। स्वर्गीय लोहिया जी ने सबसे पहले कहा था कि नौजवानों को रोजगार दो, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो। उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने की। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो शुरुआत तत्कालीन सरकार ने की थी उसको वर्तमान सरकार ने एक कलम से खत्म कर दिया, जोकि निंदनीय है। सरकार कहती है कि हम न्याय देंगे। जब राजग की सरकार थी, माननीय अटल जी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम एक करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे, लेकिन वह सरकार रोजगार नहीं दे पाई। हमारी जनसंख्या भी निरंतर बढ़ रही है। चाहे यूपीए की सरकार हो या राजग की सरकार रही या यूपी में हमारी सरकार रही। आज की सरकारों को इस बारे में गौर करना पड़ेगा कि जो नौजवान शिक्षित हैं उनको हम रोजगार दें, ताकि उनकी प्रवृत्ति जो गलत रास्ते पर जा रही है

उस पर रोक लगाई जा सके और हम अपने देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकें। इस विधेयक पर बल देते हुए मैं गुजारिश करुंगा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान करें। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN :

Shri S. K. Kharventhan -- not present

Chaudhary Lal Singh

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, आपकी इजाजत से मुझे बोलने का मौका मिला है, इसके लिए धन्यवाद। काफी दिनों से संसद नहीं चल रही है और हम सोच रहे हैं कि जिस ड्यूटी के लिए हम आये हैं वह ड्यूटी हम निभा नहीं पा रहे हैं। हमारे नेता माननीय मोहन सिंह जी पहले भी एक बेहतरीन किस्म का विधेयक लाये थे और आज दूसरी बार राइट टू एम्प्लाएमेंट की बात उन्होंने कही है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि इस तरह की सोच की इस देश को जरूरत है।

आज देश का शिक्षित नौजवान चिंतित है, परेशान है, ड्रग्स में लिप्त है तो उसका मूल कारण उसकी बेरोजगारी है। जो आदमी रोजगार में लगा होता है उसका ध्यान रोजगार के अलावा कहीं नहीं जाता है, लेकिन अगर नौजवान बेरोजगार हो तो वह जल्दी भटक जाता है और वैसा ही आज बेरोजगार नौजवानों के साथ हो रहा है। आजादी के 61 वर्षों में हमने बहुत सी प्लानिंग की, स्कीमें बनाईं और बहुत सारे नाम उन स्कीमों को दिये। उन स्कीमों से लगता है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने जा रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे मूंगेरी लाल के सपनों में सब सोच रहे हैं और बेरोजगारों की असली मुश्किल को कोई नहीं समझ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वह "नॉन ओरिएंटेड और नॉन गारंटेड है"। एक नौजवान बच्चा मेरे स्टेट का दिल्ली में काम करने आया। उसके पास पूरी डिग्रियां हैं, होशियार बच्चा है।[r7]

महोदय, उस नौजवान ने कहा कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। उसने कहा कि बचपन में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मेरी माँ ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी की। उस स्कूल में हम दोनों भाइयों की आधी फीस थी। हमारी माँ ने बहुत मुश्किल से हम दोनों भाइयों को पढ़ाया। आज जब मैं नौकरी के लिए अपनी डिग्रियां ले कर जाता हूं, तो मुझसे कहा जाता है कि क्या किसी की सिफारिश लाए हो? मैंने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरी डिग्रियां हैं, तब उन्होंने कहा कि तुम बाहर जा कर दूसरी उम्मीदवारों के साथ बैठ जाओ। मैंने उस नौजवान के साथ खाना खाया और एक घंटे तक उसे समझाया कि अगर तुम डिप्रेशन में हो, तो तुम्हारी माँ तुमसे पहले मर जाएगी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें स्ट्रग्ल करनी चाहिए। उसने कहा कि मैं किसके पास जाऊं, मैं क्या करूं, न तो मेरी डिग्री की कीमत है और न ही मुझे कोई मजदूरी देता है।

आज जब हम नौजवानों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, ये ऐबी है, तब हम यह नहीं सोचते कि हमने इसे क्या दिया है। हमने उसे पढ़ाया, तो वह पढ़ा। हमने उसे नहीं पढ़ाया, तो वह अनपढ़ रहा। हमने उसे वोकेशनल एजुकेशन दी, तो उसने पढ़ी। हमने उसे टैक्निकल एजुकेशन दी, तो उसने प्राप्त की। इन सभी डिग्रियों से उसे कोई फायदा नहीं है। आज किसी बच्चे को आसरा नहीं है, तो वह किसके पास जाएगा? पहले एम्प्लाएमेंट एश्योरेंस स्कीम्स बनाई गई, नेशनल रूरल एम्प्लाएमेंट गारंटी स्कीम बनाई गई, बहुत सी योजनाएं बनाई गईं, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो बेरोजगारी बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। हमें रोजगार को अपने फंडामेंटल राइट्स में जोड़ना चाहिए। आप एक्ट बनाकर कामयाब नहीं हो पाए। मैं पिछले दिनों एक जलसे में गया, वहां लोगों ने अपने जॉब कार्ड निकाल कर मुझे दिए। उन्होंने मुझे कहा कि छह-छह महीने से जॉब कार्ड मिले हैं और तीन महीने हमें काम किए हुए हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक देहाड़ी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी मेहनत का पैसा नहीं मिला है। एक्ट बनने के बाद आज भी यही स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि बेरोजगारों की बेरोजगारी के बारे में कौन जानेगा? बेरोजगार अगर जुलूस निकालते हैं, सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो उन्हें मारने के लिए पुलिस मौजूद है, टाडा, मीसा आदि लगा दो, कहते हैं। मेरा सुझाव है कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत जरूरी है। माइनोरिटीज को, मैजोरिटी को, एससी को, एसटी को शिक्षा दो। जो एजुकेटिड हों, उन्हें नौकरी मिले। गरीबों को पढ़ाई में स्कालरशिप दे दो, यह बेरोजगारों की आंखों में धूल झौंकी गई है। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि बच्चे के पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, एमफिल करो, पीएचडी करो।[R8]

पिछले दिनों मेरी स्टेट में फोर्थ क्लास का इंटरव्यू हो रहा था, मुझे अफसोस हुआ जब एमएससी और अंडर मैट्रिक के बच्चे चपरासी की लाइन में खड़े थे। ऐसा क्यों था, जब उसकी डिग्री कहीं और नहीं चली तब चपरासी के लिए वही डिग्री लेकर आया। यह कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? जिस एजुकेशन सिस्टम में फोर्थ क्लास के लिए अच्छा पढ़ालिखा एप्लाई करता है। आपको इसे चेंज करना चाहिए, ये केवल लंबी-चौड़ी कहानियां हैं। इन डिपार्टमेंट्स की बड़ी-बड़ी किताबें लिखी गई हैं, नई-नई किताबें आती हैं लेकिन इन किताबों में उलट-पुलट चीजें होती हैं, कहीं भगत सिंह को आतंकवादी कहा जा रहा है, कहीं राणा प्रताप सिंह जी की कहानी उलट-पुलट लिखी जा रही है, कहीं भगवान रामचन्द्र और कृष्ण की कहानी है, यह बहुत गलत चीज है। उल्टी-पुल्टी कहानी की कलाकारी करने की तरफ बहुत ध्यान जा रहा है। मेरे कहने का मकसद है कि उसे नौकरी, रोजगार नहीं मिलता है What is the fun in having education? You must change the education system. इसे कानूनी मोड़ देना चाहिए, यह सिस्टम कह रहा है। मेरे कहने का मकसद है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज कीजिए जिससे चाहे मैम्बर ऑफ पॉर्लियामेंट, चौधरी लाल सिंह हो, एमएलए हो, एजुकेशनिस्ट हो, आईएएस हो या आईपीएस हो, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें ताकि एक इफ्रास्ट्रक्चर को चैक करें। डीसी या चौधरी लाल सिंह का बच्चा बड़ी जगह पढ़ेगा और आम आदमी का बच्चा वहां पढ़ेगा, जहां न टीचर होगा, न टाट होगा, न स्टाफ होगा, जब वहां कुछ नहीं होगा

तो उसे कहा जाएगा यह नालायक है। एक तरफ स्टेट बोर्ड है और दूसरी तरफ सीबीएसई है इसी तरह तीसरी कुछ और है और चौथी लक्जरी है, आज हमारी एजुकेशन का स्टाइल क्या बन गया है? लोग अंग्रेजी बोलने से सोचते हैं कि देश की तरक्की हो जाएगी। अंग्रेजी बोलने वालों को कहा जाता है कि ये बहुत मॉडर्न हैं, कपड़े कम पहनते है। हमारा कल्चर इतना गिर गया है कि कोई न कोई केस बनता जा रहा है। स्कूलों में बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक एजुकेशन स्ट्रक्चर चाहिए। जो एमबीबीएस पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग पढ़कर इंजीनियर बने, जिन्होंने पॉलीटेक्नीक किया, आईटीआई किया, टेक्नीकल ट्रेनिंग की, वे सब रोते हैं।

सभापति महोदय : चौधरी जी, आप इस बिल पर पहले बोल चुके हैं, आपका नाम गलती से लिया गया है इसलिए कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

चौधरी लाल सिंह : वह बेरोजगारी भत्ते के बारे में था। This is on right to employment, Sir. This is a different subject.

MR. CHAIRMAN: I say this based on the record. Please conclude now.

चौधरी लाल सिंह : मेरा आपसे निवेदन है कि फंडामेंटल राइट्स में इसे इन्कलूड करवाएं ताकि बेरोजगारों का मसला ठीक हो जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सदन के सामने बहुत ही अहम विधेयक लाकर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। इसके साथ शैलेन्द्र जी और लाल सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह के प्रस्ताव पर बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही है। [r9]

संविधान संशोधन विधेयक, 2004 में माननीय सदस्य ने कोशिश की है कि जो हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सरकार जो व्यवस्था कर रही है, उसमें जो कमी है, उसे वह बेरोजगारी भत्ता देकर पूरा करने का काम करे। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। हमारे देश की जनसंख्या एक अरब से भी ज्यादा है। इस जनसंख्या में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग चार करोड़ लोग बेरोजगार हैं। जो लोग नियोजनालयों में अपने नाम दर्ज कराते हैं, उनके आंकड़ों के अनुसार मैं यह बता रहा हूं और मैं समझता हूं कि ऐसे बहुत से शिक्षित नौजवान हैं, जो अपने नाम नियोजनालयों में दर्ज नहीं करा पाते हैं। चूंकि उन्हें कोई इंटरैस्ट नहीं है, क्योंकि रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। रोजगार मिलेंगे ही नहीं, इसलिए दफ्तरों में जाकर अपना नाम दर्ज कराने से क्या फायदा है। अब से कुछ समय पूर्व

15.37 hrs.

(Shri Mohan Singh in the Chair)

नियोजनालयों के माध्यम से जब सरकारी विज्ञापन निकला करते थे तो उनमें एसेंशियल होता था कि जिन लोगों के नाम नियोजनालयों के माध्यम से आयेंगे, उनके आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा। लेकिन वर्षों से आम तौर पर यह अहसास हो रहा है, चाहे वह राज्य सरकार का दफ्तर हो या भारत सरकार का दफ्तर हो, कहीं से भी रिक्तियां नहीं आ रही हैं। जब हम रिक्तियों की बात करते हैं तो जब से नई आर्थिक नीति आई है, तब से हमारे जैसे गरीब देश के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। पहले कहा जाता था कि नई नीतियों आयेंगी तो रोजगार मिलेगा, मल्टी नेशनल कंपनियां आयेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन खास तौर से जब से कंप्यूटर का युग आया है, उसके बाद से जहां पचास आदमी हाथों से काम करते थे, नये उपकरणों के माध्यम से पांच आदमियों से ही वह काम चल जाता है और कहीं-कहीं आदमी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस तरह से रोजगार के अवसर घटाये जा रहे हैं। ऐसी नीतियां बन रही हैं, जिनके कारण रोजगार के अवसर दिन-ब-दिन घटते जा रहे हैं। खास तौर पर जब भारत की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो लोगों की छंटनी की जाती है, वी.आर.एस. दी जाती है। इस तरह से नौजवानों की भर्ती के जो अवसर थे, उन्हें खत्म किया जा रहा है। कहीं भी वेकेन्सी नहीं निकलती है तो रोजगार कहां से मिलेगा। आज नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन है। इसी चिंता से व्यथित होकर माननीय सदस्य इस बिल को लाये हैं। आप इस बात का अहसास कर रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। हमारे देश के नवयुवक किस दिशा में जा रहे हैं। बेरोजगारी के कारण चारों तरफ अपराध बढ़ रहे हैं। नक्सलवाद बढ़ रहा है। लेकिन इस सबका मूल कारण रोटी है। जब रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो बाध्यता है, वह चोरी करेगा, डकैती डालेगा।

माननीय सभापति महोदय, आम तौर पर आपने देखा होगा और आजकल टी.वी. में यही चल रहा है, देश में जो अपराध हो रहे हैं तथा हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, उन सबको मिर्च-मसाले लगाकर टी.वी. वाले लोग समाज को दिखा रहे हैं[b10]। इसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, खैर वह अलग बात है। पीएचडी किये हुए लोग अपराध में शामिल हैं। इसके पीछे क्या कारण हैं? माननीय मंत्री जी, आपको एहसास करना होगा। आप तो गांवों के लोग हैं। दरी बिछाकर यहां तक आए हैं। लम्बी अवधि आपने लोगों के बीच में काटी हुई है। आप तो ज्यादा एहसास करते होंगे। मूल कारण यह है कि लोग फ्रस्टेशन में आ रहे हैं। गरीबी हमारे देश में पहले से ही है लेकिन पढ़ने-लिखने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता है।

इस देश की आधी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है। आर्थिक नीतियों की वजह से बड़े पैमाने पर हमारे रोजगार के अवसर घट रहे हैं। बड़े पैमाने पर हम लेबर की छंटनी कर रहे हैं। यह मैं सरकारी दफ्तर की बात कह रहा हूं। हाथ के भी काम छीने जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी।

आजकल मॉल संस्कार हमारे देश में आ रहा है। चाय, जूता-पॉलिश, टूथपेस्ट और सब्जी भी उसी में बिक रही है। सारे आइटम्स एक ही बिल्डिंग में बिक रहे हैं। मंत्री जी, क्या कभी आपने पता किया है कि जिस इलाके में मॉल है, आप तो जिस शहर से आते हैं, वहां दुनिया भर के मॉल आ गये हैं। आप गांवों में जाकर पता करिए कि जो लोग रोजगार से विहीन हो रहे हैं, जिनके हाथ बेकार हो रहे हैं, आप उनसे उनकी स्थिति का पता करिए। आपने यह एहसास किया है, तभी आप यह बिल लेकर आए हैं। ऐसी-ऐसी नीतियां आ रही हैं, ऐसे-ऐसे संस्कार हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था अलग होनी चाहिए। हमारी मानसिकता अलग तरह की होनी चाहिए लेकिन हम अपनी मानसिकता से बिल्कुल विपरीत विदेशी मानसिकता अपना रहे हैं लेकिन मेरा कहना है कि हम इस कल्चर में सर्वाइव नहीं कर सकते।

भारत एक विशाल देश है। यहां गरीबी, फटहाली तथा बेरोजगारी पहले से ही ज्यादा है। हम वैसे ही लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने रोजगार गारंटी योजना चालू कर दी है। सरकार चाहती है कि वह गांवों के लोगों को रोजगार दे। लेकिन वह भी कारगर ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, हमें उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि शिक्षा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा पर भी ध्यान देना अच्छी बात है लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तकनीकी शिक्षा देकर यह अनिवार्य करना चाहिए कि जिनको तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, चाहे आई.टी.आई. हो या छोटे-छोटे वोकेशनल पढ़ाई के माध्मय से हो, शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की प्रक्रिया आपने चालू की है मगर उनको भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हमारे जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनका बना हुआ सामान विदेशी कंपनियों के सामान से कम्पीट नहीं कर पा रहा है। आज हमारे देश के हर घर में चाइना का सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा ?

सभापति महोदय : अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, घंटी मत बजाइए। घंटी बजेगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा।

सभापति महोदय : आपको पन्द्रह मिनट हो गये हैं। आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, हमने अभी बोलना प्रारम्भ ही किया है। पन्द्रह मिनट में क्या होता है? इस पर तो पन्द्रह घंटे भी कम हैं। यह ऐसा विषय है। मैं संक्षेप में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सहयोग मुझे चाहिए। बिना आपके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा और जहां आपने घंटी बजाई, वहीं सब कुछ गड़बड़ा जाता है। अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो आप घंटी बजा दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है। थोड़ा संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, आपकी मजबूरी है तो सदन की सहमति है कि मैं बोलूं।...(व्यवधान) आपकी भी इच्छा होगी कि मैं बोलूं।...(व्यवधान) मैं बता रहा था कि स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। यहां मैं बताना चाहता हूं कि विदेशों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता [r11]है। किस तरफ इनका ध्यान है? हमारे यहां की शिक्षा कल्चर है जिसमें हमारे मां-बाप कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा डाक्टर, इंजीनियर, आई.ए.एस,. बने और यह मां-बाप के लिये स्वाभाविक भी है और आपके लिये भी है। लेकिन बच्चे का दिल नहीं लगता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिलने वाला है। वह जबरदस्ती एम.ए. या पी.एचडी कर लेता है। इसलिये रोज़गार शिक्षायुक्त बनाने की आवश्यकता है। आज आबादी के हिसाब से रोज़गार नहीं मिल रहा है क्योंकि आबादी 1.9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है जबकि बेरोज़गारी 2.9 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है। यह देश कैसे चलेगा, इससे बेरोज़गारी कैसे दूर हो सकती है? जहां संविधान ने मौलिक अधिकार दिया हुआ है, वहां सरकार का दायित्व होना चाहिये कि रोज़गार की व्यवस्था करे। यदि रोज़गार नहीं दे सकती है तो बेरोज़गारी भत्ता देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी, जब आप कानून बनायेंगे, क्या रोज़गार के अवसर देंगे या बेरोज़गारी भत्ता देंगे जिससे सरकार पर मानसिक दबाव बनेगा और उस दबाव में सरकार आगे यह व्यवस्था करेगी और रोज़गार उपलब्ध करायेगी। अगर यह नहीं होगा तो निश्चित तौर पर बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ेगा। जब सरकारी कोष पर भार पड़ेगा तो सरकार सोचेगी, एक पौलिसी बनायेगी जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। मगर यह नहीं हो पा रहा है। हम अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश में नक्सलवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं जिसका मूल कारण बेरोज़गारी है। उसमें हमें कमी करनी पड़ेगी। इसके लिये सरकार को नीतियां बनानी पड़ेगी, देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत करनी पड़ेगी। क्या आप चाहेंगे कि बन्दूक की नोक पर या एके-47 से अपराध नियंत्रित कर देंगे, नक्सलवाद पर नियंत्रण कर लेंगे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यहां के नौजवान बेरोज़गारी के कारण परेशान हैं। इस कारण उनका शोषण किया जा रहा है। जैसा चौ. लाल सिंह जी जम्मू कश्मीर की बात बता रहे थे कि वहां नौजवानों का शोषण किया जा रहा है। जहां आतंकवाद की गतिविधियां नहीं रहती हैं, वहां उन्हें लालच दिया जाता है कि यह काम कर दो, हम तुम्हें हजारों रुपये देंगे। चूंकि उसके पास रोज़गार नहीं है, उसकी बाध्यता है, उसे अपने मां-बाप और बच्चों का पेट पालना है,उन्हें रोटी की जरूरत है, इसलिये उसकी मजबूरी है। अगर यह मजबूरी नहीं होती तो वह आतंकवाद की ओर नहीं बढ़ता। हमारे देश के करोड़ों लोगों को अपने देश से प्यार है लेकिन दिनोंदिन आतंकवाद की गतिविधियों में नौजवान लिप्त हो रहे हैं। वे पेट पर बम लगाकर अपने आपको उड़ा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें लालच दिया जा रहा है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिये, आप काफी कह चुके हैं। और कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राम कृपाल यादव : सभापति जी, काफी कहां हुआ है, फिर भी आप कहेंगे तो जल्दी समाप्त कर दूंगा। मैं आपकी कृपा से कनकलूड करने जा रहा हूं। जो लोग अशान्ति पैदा करके अमन-चैन कम कर रहे हैं, उसका कारण बेरोज़गारी है। हमारा देश बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों पर रहा है और अमन-शान्ति हर आदमी सोचता है लेकिन यह हो नहीं पा रहा है। उसका मूल कारण बेरोज़गारी है। इसलिये, मंत्री जी, मैं आपसे कहूंगा कि बेरोज़गारी दूर करने के लिये एक ठोस निर्णय लीजिये। आप इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिये। सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये, माननीय सदस्य से विदड्रा मत कराइये। हम लोग भाषण तो रोज़ सुनते हैं, आपका जवाब भी आयेगा जिससे हमें लगता है, कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा या बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा , तब तक उनकी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, देश का विकास नहीं हो सकता, देश को गति नहीं मिल सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि नीतियों में परिवर्तन कीजिये और जो वैकेंसीज़ पड़ी हुई है, उन्हें भरने का काम कीजिये। आजकल एक नया ट्रेडीशन निकल गया है।[s12]

आजकल एक नई परंपरा बन रही है। पहले शिक्षक और डाक्टर्स की रिटायरमैंट एज 56 और 58 थी जिसको बढ़ाकर अब 64 और 65 कर दिया गया है। एक तरफ बुढ़ापे में आदमी काम नहीं कर पाता, उसकी हैल्थ परमिट नहीं करती और दूसरी तरफ नौजवानों के रोज़गार के अवसर भी इससे खत्म हो रहे हैं। किसी की सेवा दो साल बढ़ गई तो दो साल वैकेन्सी बंद, जिससे नई भर्तियों में आवेदकों की एलिजिबल एज समाप्त हो जाती है। इन सब नीतियों पर हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। तभी आप देश को तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं, शांति और अमन-चैन से रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विधेयक को स्वीकार करें, अन्यथा इसी तरह की कोई और व्यवस्था करें। यह तभी हो सकता है जब संविधान में संशोधन करके रोज़गार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने का काम करेंगे।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक आपने स्वयं इंट्रोडयूस किया है जिसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इस मुल्क की बेरोज़गारी के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही मौज़ू विधेयक है। मौज़ू इसलिए है कि जैसा आप भी जानते होंगे, हमारे जितने साथी यहां बैठे हैं, सब जानते होंगे कि हम लोग अपनी कांस्टीटयूंसी में जब भी जाते हैं तो सबसे अहम मुद्दा लोगों के सामने यह होता है कि उनको नौकरी चाहिए। अक्सर लोग आकर हमसे गुज़ारिश करते हैं कि फलां जगह हमें नौकरी दिला दीजिए या कहीं भी नौकरी दिला दीजिए। आप स्वयं इस बात से परिचित होंगे और हम सभी परिचित होंगे कि किसी भी सांसद के हाथ में या किसी भी विधायक के हाथ में या किसी भी सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति के हाथ में ऐसा नहीं है कि वह कह देगा कि इसको वहां नौकरी दिला दो, टेलीफोन कर दिया और नौकरी मिल गई। चाहे सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी विभाग हो, दुनिया भर के लोग यही कहते हैं कि आप अगर एक फोन कर देंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। उनको यह नहीं पता कि फोन करने से नौकरियां नहीं मिलतीं। यह सही है या गलत, लेकिन एक परंपरा हमारे देश में बना दी गई है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सन् 1947 के बाद एक परंपरा हमारे देश में फौरी तौर पर बननी शुरू हो गई कि जो भी मिनिस्टर साहिबान के पास आता था या बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों के पास जाता था तो कहता था कि साहब, हमें नौकरी की ज़रूरत है और वह टेलीफोन पर किसी की सिफारिश या पैरवी कर देते थे तो उनको नौकरी मिल जाती थी। लेकिन वह आज़ादी के प्रारंभिक काल की बातें थीं। धीरे धीरे कानून बनने लग गए, नियम बनने लग गए, कायदे बनने लग गए, केन्द्र और राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन बन गए। उसके बाद से सरकारी विभागों में भर्तियां योग्यता के आधार पर होती हैं, परीक्षा के आधार पर होती हैं और सबको आप नौकरी नहीं दिला सकते और दिलानी भी नहीं चाहिए, पैरवी करनी भी नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं और गैर-ज़िम्मेदाराना ढंग से नौकरी दिलाते हैं, उनके खिलाफ आजकल देखिये क्या-क्या कार्रवाई हो रही है - पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने अध्यक्ष और मैम्बर्स जेलों में भरे पड़े हैं।

इस समय जो सबसे अहम मुद्दा है वह है बेरोज़गारी का और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इसलिए आपने जो विधेयक इंट्रोडयूस किया है वह बहुत ही मौज़ू है। जब तक संविधान में बुनियादी तौर पर हम लोगों को नौकरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शायद इस मुल्क का नौजवान जो देश का भविष्य है, उसके सामने जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, इसके बारे में कोई सपना भी नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। यह बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह प्रावधान संविधान में होना चाहिए। [H13][rep14] अब सवाल यह उठता है, आपने यह विधेयक बना दिया और उसके बाद कानून में संशोधन हो गया तो कानून में संशोधन होने के बाद आप इसे कैसे लागू करेंगे? अब जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। भारत सरकार ने इस बात की घोÂ◌ाणा एक बार नहीं, कई बार की है कि इस पर बजट में कोई ऊपरी सीमा नहीं रहेगी, चाहे 18 हजार करोड़ रुपए या 20 हजार करोड़ रुपए लगें। मैं अपने ही प्रांत की बात करता हूं कि हमारे यहां इस योजना का कार्यान्वयन नहीं हो रहा। जितने पैसे दिए गए, बिहार सरकार को कहा गया कि हम आपको इतने पैसे इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए देंगे, आप इसका कार्यान्वयन कीजिए। मैं आपको फरवरी तक के आंकड़े बता रहा हूं, उसमें कुल 21 या 22 परसैंट पैसे खर्च हुए थे, ये क्यों खर्च हुए? उसमें ये मानते हैं कि सौ फीसदी खर्च नहीं हो सकते थे, लेकिन उसमें कम से कम आधा पैसा खर्च होना चाहिए था। ग्रामीण इलाकों में जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें कुछ न कुछ पैसे मिलने चाहिए थे। 68 रुपए प्रति दिन के हिसाब से उन्हें जो मजदूरी मिलती, उस हिसाब से उन्हें एक महीने में कम से कम 18 सौ रुपए मिलते, ये 18 सौ रुपए उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उनमें से किसी को पांच सौ रुपए, तीन सौ रुपए या चार सौ रुपए मिलते हैं। यह और भी एक अजीब सी विडम्बना है कि उसका रिकार्ड भी नहीं रखा जा रहा। लोग

बताते हैं कि कैसे रिकार्ड रखें। वहां पैसे मिलते हैं, जहां मिट्टी का काम करें, मिट्टी की कितनी खुदाई एवं कटाई की है, उसका एक अलग मानक है। 80 या 110 क्यूबिक फीट काटिए तब आपको इतने पैसे मिलेंगे। यह जो मानक बनाया गया है, यह किस आधार पर बना है? हम लोग कोई एक एबल बॉडी कह देते हैं, आप एबल बॉडी को दे दीजिए, किसी शारीरिक रूप से असहाय को मत दीजिए। अगर एबल बॉडीज़ हैं तब भी वह 110 क्यूबिक फीट मिट्टी आठ घंटे में कैसे काटेगा और अगर वह नहीं काटेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इसका नतीजा यह होता है, यह जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, इसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा। आपने हमारे रामकृपाल जी को कहा था कि आप ज्यादा न बोलें, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। इसीलिए मैं केवल एक मिसाल दे रहा हूं कि जिसका बुनियादी तौर पर प्रावधान है, उस पर भी हम अमल नहीं कर पा रहे हैं, उसका हम कार्यान्वयन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी होनी चाहिए।

हम चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो, संविधान में मुनासिब संशोधन हो और हमारे नागरिकों को बुनियादी तौर पर हक मिले, उन्हें नौकरी मिले। जब ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद इसका कार्यान्वयन कैसे होगा, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज भाई रामकृपाल जी ने नक्सलवाद के बारे में कही। मैं ऐसे इलाके से आता हूं, जिसका बहुत लम्बा रक्तनिल इतिहास है। वहां बहुत रक्तपात और हिंसा हुई है। वहां सैंकड़ों लोग मारे गए हैं। हमारा इलाका नक्सलवाद से बुरे तरीके से ग्रसित है, उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। मैं यह स्पÂट करना चाहता हूं कि वे जितने नक्सल दर्शन के अनुयायी हैं, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं यह इसलिए स्पÂट करना चाहता हूं, क्योंकि वे चाहते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक एकता हो, यानि सोश्यो इकोनोमीक इक्वेलिटी हो, विकास हो और जमीन को लेकर झगड़े न हों। ये सब बातें बिलकुल सही हैं, लेकिन जहां मैं उनके साथ मतैक्य नहीं रखता, वह उनकी हिंसा की प्रवृत्ति है। अगर वे चाहते हैं कि अपनी बात हिंसा करके, मार-काट करके एवं रक्तपात करके मनवा लें तो मैं उसके बिलकुल खिलाफ हूं, यह नहीं होना चाहिए। [rep15]

16.00 hrs.

सभापति महोदय, हम उनसे अपील करते हैं कि वे इसे छोड़ दें। नक्सलवाद की जो फिलॉसफी है उसमें बुनियाद बात यही है कि उनके पास जो आर्थिक साधन होने चाहिए, वे नहीं हैं। उनके पास अपना जीवनयापन करने के लिए पैसे या साधन होने चाहिए, वे नहीं हैं और ये इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनके पास अपने जीविकोपार्जन का कोई उपाय नहीं है। इसीलिए नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है। इस हिसाब से भी रोजगार के लिए मौके बढ़ाना या रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी निहायत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि संविधान में कोई न कोई प्रावधान हो और उसके लिए संविधान में संशोधन हो, जैसा कि इस विधेयक में प्रस्ताव किया गया है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, भाई राम कृपाल जी ने कहा, कंप्यूटर की एज में, आजकल एक कंप्यूटर 10 आदमियों का काम कर रहा है, तो जहां एक तरफ रोजगार की संभावनाएं बढ़ानी चाहिए, वहां पर आप कंप्यूटर को प्रश्रय दे रहे हैं और इस प्रकार से आप रोजगार के पेड़ को चोटी से ही काट रहे हैं, यह बात पूरे तौर से सही नहीं है। सही मायने में जो इलैक्ट्रौनिक गवर्नेस, यानी कि ई गवर्नेस का केन्द्रीय सरकार का प्लान है, वह अगर लागू किया जाए, तो उससे बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी, जो लोग रोजगार में हैं, वे लोग बेरोजगार नहीं होंगे। इससे होगा यह कि इस समय प्रशासन का जो सलीका है, उसमें सुधार आएगा। ई गवर्नेस का जो प्लान यदि पंचायत तक ले जाया जाए, तो हर पंचायत में कम से कम उन दो आदमियों को नौकरी मिलेगी, जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होगा। हमारे यहां जैसे 203 पंचायतें हैं। हर पंचायत में दो ऑपरेटर्स होने चाहिए। इस हिसाब से 406 लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके साथ-साथ कुछ ऑपरेटर्स रिजर्व भी होने चाहिए। यदि रिजर्व रखने के लिए भी भर्ती की जाए, तो वह अतिरिक्त लोगों को और रोजगार प्रदान करेगी। चूंकि यह काम हम अपने यहां, यानि मेरे क्षेत्र औरंगाबाद में करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मुझे यह मालूम है। अतः कंप्यूटर लागू करने से या प्रशासन के कामों कंप्यूटर लागू करने के यदि हम स्टैप्स उठाते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि इससे हम अनएम्पलायमेंट प्रमोट करेगें ।

महोदय, यदि हम ई गवर्नेस को इम्पलीमेंट करते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को योग्य बनाएं ताकि वे ई गवर्नेस में काम करने लायक बन सकें। इसके लिए कंप्यूटर की शिक्षा जरूरी है, फिर चाहे वह डिप्लोमा दिया जाए, चाहे वह बी.सी.ए. की डिग्री हो या एम.सी.ए. की डिग्री हो और इसके लिए किसी भी राज्य सरकार को कंप्यूटर शिक्षा पर तवज्जुह देनी चाहिए। यह निहायत अहम है और इसकी अहमियत को मैं बार-बार दोहराना चाहता हूं। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए, मेरा अपना यह विचार है कि आपका विधेयक बहुत ही दूरदर्शिता का विधेयक है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के युवा वर्ग को एक बुनियादी हक मिले कि वह कह सके कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दीजिए यह मेरा बुनियादी हक है। यह तभी मुमकिन होगा, जब हमारे संविधान में संशोधन हो और संशोधन कराने के लिए जो विधेयक आपने यहां प्रस्तुत किया है, इसे इस सदन से पास करना निहायत जरूरी है और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात सोची है।

[r16]

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Thank you Mr. Chairman for piloting this Bill and also for presiding over this House when I am standing here to deliberate on this important topic.

The Motion is to amend the Constitution of India, in the provisions in the Directive Principles of State Policy relating to employment. It is to provide equal opportunity in public employment, to promote the right to employment in Part III of the Constitution thereby making it a fundamental right [MSOffice17]of the citizens.

Mr. Chairman, as the Mover of this Bill, you have stated that the State shall provide gainful employment to every able-bodied citizen who has attained 18 years of age. If the State fails to provide employment to any such person, he shall be given an unemployment allowance till he gets gainful employment. In the Financial Memorandum it is stated that around Rs. 1,000 crore per annum be kept as recurring expenditure and Rs. 1,000 crore be kept as non-recurring expenditure.

In this age of booming economy, I would like to quote two instances, which have major significance for all of us. One is about an advertisement which was published in a newspaper for which more than 10,000 applicants, including MBAs, Engineers, applied for two posts of Peon, which offered a salary of Rs. 5,500 per month. Please remember there were 10,000 applicants, including those with MBA and Engineering degrees. This shows the amount of unemployment and the hankering to get a Government job. The other instance is about an eighty-year old beggar from Ayodhya who was able to educate his two sons. One of whom became a doctor and the other became a lawyer.

So, these two contrasting situations are before us, before the nation. Begging is an offence; and prolonged unemployment is a sin that an individual is subjected to by the State. Though the Supreme Court has taken a serious view of starvation deaths, reports of unemployment deaths have failed to catch the attention of any spirited organisation or individual.

According to one estimate, over 41 million educated and qualified persons are registered with employment exchanges across the country. In fact, many others are not able to get their names registered because registering their names in such exchanges is a difficult task, as registering an FIR is also a difficult task in police stations. Whether they would ever get a job or become over-aged by the time an opportunity comes their way is another matter, but the fact remains that educated as well as others are entitled to the constitutional right to life, which according to the Supreme Court is incomplete without livelihood.

Since 1980, as many as 30 countries, including 18 developing countries, have incorporated right to work in their constitutions. Another 25 countries have guaranteed "Working Right" to their citizens. But even after sixty years of Independence, the basic right to life continues to elude the people of India. According to article 41 of the Constitution, the State shall within the limits of its economic capacity make effective provisions for securing the right to work, to education, and to public assistance in cases of unemployment. To give effect to this Directive Principle of the Constitution, the erstwhile Government of Madhya Pradesh, in the year 1980, had undertaken a novel experiment. To provide employment opportunities to the rural educated youth, it created an organisation named "Bhoomi Sena", that is "Land Army" and recruited thousands of educated youth as "Bhoomi Sainiks" who have been employed in constructing irrigation work, canals, roads, soil conservation in the country-side on payment of daily wages under the Minimum Wages Act.[MSOffice18] Engaged in nation building manual work, they were treated as public servants, learning dignity of labour. It is not known − the Government may find out -- having worked successfully for about five years, I fail to understand why this experiment was not inculcated by other States. But it was also stopped in Madhya Pradesh after five years.

Following the explosive rise in unemployment through the 1920s, many Western capitalist countries introduced different forms of unemployment insurance. By the 1980s, the Constitution of 30 countries, as I have said, including 18 developing nations had incorporated the right to work. The Indian Constitution does include the right to work *via* article 41, but this is not a part of the Fundamental Right. It is figuring only in the Directive Principles. Various judgments of the Supreme Court have suggested that the State must place the Directive Principles on par with Fundamental Rights. Whether this constitutional obligation is fortified by making the right to work a Fundamental Right or a stronger meaning is attributed to the Directive Principles, either way the State has an obligation to protect its people from unemployment.

India is a signatory to the Universal Declaration of Human Rights and the ILO Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Both of these incorporate the right to work. There is an international imperative as well.

Policy in India began with the presumption that the only salvation for millions of unemployed in the countryside was for them to get work in industries set up in urban areas. The massive droughts of the mid-60s forced a policy rethink that led to Green Revolution. It also led to a monumental neglect of our poorest regions. The result is, there is intense concentration of poverty and distress in certain pockets. Today, economic development is increasingly widening disparities across the States. This is a major challenge today before this country.

The Economic Advisory Council to the hon. Prime Minister headed by C. Rangarajan has stated that there will be no unemployment by 2010. Whether people are satisfied with their remuneration or not is a different matter, but large number of people believe today that economic growth will create employment. Rangarajan has given certain figures. I am not going to those details. But UNDP has stated that there is jobless growth. Today in many countries and also in our country, the report states that in India and China, there is sharp fall in unemployment intensity of growth. There are very many reasons behind it - the change from regulation-based substitution economy to competition and integration with the global economy has its impact.[a19] Sharp shift away from labour-intensive economic activities towards capital-intensive one is another reason. These are the broad parameters about which I am just touching.

Inappropriate market intervention is also affecting the job market. I would come to the suggestions. I would complete within a few minutes. The Infosys mentor Shri Narayana Murthy has said that to tackle the rising poverty and unemployment, Government should create an environment where there is incentive for more entrepreneurs to create a large number of jobs. Today, the law is discouraging the entrepreneurs to set up industries to provide more jobs. We have a large number of illiterate and semi-literate people. How do you meaningfully employ such people? Shri Narayana Murthy says that these people have to be moved into low-tech manufacturing. China has been able to create over 140 million jobs in the last 11 years by moving people from agriculture and rural areas to low-tech manufacturing. Our workers have to upgrade their skills. Why there is a rise in the rate of unemployment today? Unemployment is most amongst the unskilled.

There is a vast shortage of talent at the skilled level. This is the failure of the Government to address some hard policy issues on labour. We have to recognize and address this. Political response would be to reach for more State interventions including pushing up employment in Government agencies. But there is a need to correct the policy. As the service sector which is actually providing more employment today in our country, the service sector is unlikely to give more jobs after a given point of time. There is a need today to give industry the freedom on this score.

The census figures indicate that 17 per cent of India's graduates are jobless. If employment is defined as productive work, the figures go up to 40 per cent. The total number of unemployed in the country has increased three-fold in the last ten years. These are alarming figures. In absolute numbers, the jobless army is 44.5 million strong. Therefore, there is a need to change our attitude towards skills to democratise knowledge and work. It requires to recast the education system also.

Now, I will conclude by making the last point. Only mass production by mass manufacturing units can absorb a large number of unemployed youths. Vocational training be given significance to upgrade skills. Industries that generate jobs should be encouraged. Wealth should be put to socially good uses. The rich should save and invest. The Government must make policies that encourage the rich to establish industries that generate much employment. There is a need for a total change in development plan which should emphasise on labour-intensive industries to tackle the problem of unemployment. As employment in the traditional agricultural sector is dwindling, this has become more important. There is great potential for agro industries and some identified rural industries like horticulture, floriculture, etc. The perception of the State machineries only to increase the GDP earnings by labour-reducing technologies and strategies would have to change because the lower tiers of the population have also a right to existence. The dual purpose of employment generation and rural development was addressed by Mahatma Gandhi many years back. He said:

"Do not go in for production for the masses. Go for mass production by the masses "

If there is a course correction, we can meet the challenge of unemployment. If we go in for mass production, for mass consumption instead of having production for the masses by some limited industries, we can meet the challenge of unemployment. With these words, I conclude.

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक मौलिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। वास्तव में आप जो विधेयक लाए हैं, एक समर्थ भारत बनाने का जो सपना हमारे महापुरुषों ने संजोया था, उस आशा को हम पूरा होना देखना चाहते हैं। विधेयक में कहा गया है - राज्य प्रत्येक समर्थांग नागरिक, जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को लाभप्रद रोजगार प्रदान करेगा। यह पहला हिस्सा है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, जो श्रम कर सकता है, यानी हर हाथ को काम, हर हाथ को काम का अर्थ हुआ हर व्यक्ति को रोजगार, हर व्यक्ति को रोजगार का अर्थ हुआ हर व्यक्ति का गुजारा, व्यक्ति के मायने एक व्यक्ति नहीं है, उस पर निर्भर रहने वाले लोग हैं। एक नौजवान के साथ यदि उसके बूढ़े मां-बाप हैं, तो वे भी शामिल हैं। यदि उसकी शादी हुई है तो उसकी पत्नी है, बच्चे छोटे हैं तो वे भी हैं। हम कहते हैं - हम दो हमारे दो, बाकी को रहने दो। उसके मां- बाप जो बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या होगा। भारतीय परिवार की जो कल्पना हो सकती है, उस पूरे परिवार की कल्पना हमें करनी होगी। आज हम देख रहे हैं कि बेबसी बढ़ती जा रही है। जब बेबसी बढ़ती जा रही है तो आपने जो दूसरा उपाय सुझाया है, वह यह है - यदि राज्य किसी भी व्यक्ति को रोजगार देने में असफल रहता है तो, यदि उसके उपाय नहीं किए जा सकते हों, आपकी रोजगार गारंटी योजना चली, चली है, चली है, अभी पहुंची नहीं है, पहुंचेगी। हम उम्मीद रखते हैं, नाउम्मीद नहीं हैं। परन्तु वह पहुंचेगी तो पूरा रोजगार देना चाहिए। सौ दिन का रोजगार फिर उसका भत्ता, सौ दिन का रोजगार फिर उसका भत्ता। वह रोजगार क्या करता है? वास्तव में रोजगार क्या होता है। यदि वह रोजगार नहीं होता, उससे उसका गुजारा नहीं होता तो वह रोजगार नहीं है। उसका भत्ता कितना होता है? क्या उस भत्ते से उसका गुजारा होता है? यदि नहीं होता तो फिर वह भत्ता नहीं है। उसे हम भत्ता इसलिए कह रहे हैं कि उससे उसे दो समय का खाना मिल जाए। इसलिए बिल में कहा गया है कि व्यक्ति को रोजगार देने में असफल रहता है तो उसे लाभप्रद रोजगार प्राप्त होने तक - रोजगार का मतलब बेबसी नहीं है, रोजगार का मतलब बेगार नहीं है, रोजगार का मतलब जबरिया कुछ नहीं है, काम कितना लिया जा

रहा है, उसके बदले उसे गुजारे के लिए जितना चाहिए, मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस की बात करता हूं तो आज का जमाना मिनिमम वेजेस के बारे में बात करने का नहीं रह गया, उसके बारे में सोचने के लिए कोई मौका नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण हो गया है, वैश्वीकरण का मतलब पूंजीकरण हो गया, पूंजीकरण का अर्थ हुआ कि कुछ लोग समृद्ध हो जाएंगे, एक लाख लोग अरबपति हो जाएंगे, बाकी के लोग कहां जाएंगे। बिल में आगे कहा गया है कि लाभप्रद रोजगार प्राप्त होने तक ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो विधि द्वारा विहित किए जाएं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का अर्थ ही है कि किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, तो उसका सुबह का खाना, शाम का खाना, उसकी भूख, प्यास, उसके रहने के लिए आवास आदि का प्रबंध होना ही चाहिए। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जितना जरूरी है, वह होना चाहिए। आपको पता है, मुझे पता है, सब लोगों को पता है, सबने गांव देखा है, गरीब देखा है, मजदूर देखा है। यह जो सारी स्थिति बनी हुई है, इसे हम हिन्दुस्तान की साठ साल की आजादी के साथ जोड़ रहे हैं, उसे हमें जोड़कर देखना ही चाहिए।[N20]

आप कौ न-कौन सी योजनाओं में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और उससे कितनी उपलब्धि हो रही है, यह समीक्षा की बात होगी। किन्तु देश में बेरोजगारी के कारण कोई आदमी भूखा मर रहा है, उसकी जिंदगी का गुजरा मुश्किल हो गया है, यदि यह पक्ष हमने नहीं देखा, तो आपकी जो भी उपलब्धि होगी, उसे हम उपलब्धि नहीं कहेंगे, समृद्धि नहीं कहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी बात यह है कि हर आदमी को गुजारा करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, फिर चलाते रहें आप अपनी दुकान, फिर करते रहें सब समाधान, फिर करें कुछ विधि-विधान। ...(व्यवधान) आपकी चल रही हैं तभी आपको बोला जा रहा है। आपकी नहीं चलती होती, तो आपको हम क्यों बोलते?

माननीय सभापति जी, आपने एक बहुत बेहतरीन बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने का काम किया। वैसे भी संसद के अंदर ध्यान ही आकर्षित किया जा सकता है। इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। इसलिए आप यह सुनिश्चित करिये कि देश का जो बजट बनाया जाता है, उस बजट में कोई भूखा न रहे। किसी के पास रहने के लिए छत न हो, तो उसके पास छत होनी चाहिए। उसका गुजारा चलाने के लिए भोजन का प्रबंध होना चाहिए। इसके साथ-साथ उसके तन पर कपड़ा होना चाहिए। अब ये सारी बातें नहीं हो रही हैं क्योंकि उपभोक्ताओं को देने की आपकी जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वह ठीक से काम नहीं कर रहा है। वहां न अनाज है, न कपड़ा है और न ही बाकी की चीजें हैं। इस तरह सारी बातें बेकार हो जाती हैं। इसलिए आप शुरूआत वहीं से करिये। अगर एक गिनना है, तो वहीं से गिने कि हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक, चाहे देश की आबादी 110 करोड़ से ज्यादा हो गयी, यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भूखा नहीं रह रहा है। यही कल्याणकारी राज्य की कल्पना है। यही सब लोगों के भले के लिए एक वेल्फेयर स्टेट की कल्पना है। इसलिए जब भारत का संविधान बोलता है, तो ऐसे ही बोलता है कि हम भारत के लोग--एक समर्थ एक कमजोर, एक खरबपति, अरबपति, करोड़पति और एक को कुछ नहीं। यह जो अंतर है, आय का जो अनुपात देश में होना चाहिए, वह असीमित हो गया है। एक समय आदर्श कल्पना थी कि आय का अनुपात है, वह सबसे गरीब आदमी को, यदि वह रोजगार करता है और उसको कुछ मिलता है, तो उसका 20 गुणा अधिकतम और अब एक और दस का अनुपात है, तो यह क्या हो गया? अभी कुछ लोगों की तनख्वाहों के बारे में पत्रिकाओं में छपा हुआ है कि उनकी करोड़ों रुपये की तन्खवाहें हो रही हैं। अब इतनी ज्यादा तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, पूंजी का वर्चस्व हो गया है, इसलिए आप सिर नवा कर उसे स्वीकार करते जाइये। इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र है, तो क्या सही मायने में हम लोकतंत्र हैं? इसलिए प्रिएम्बल का जो एक-एक शब्द है, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए चाहे वह कोई भी सरकार हो। पिछले 60 सालों में क्या हो गया, इसका हिसाब चाहिए, चाहे कोई भी सरकार रही हो। इसलिए जब तक हम ईमानदारी से सारे पक्षों के बारे में, सर्वांगीण रूप से विचार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो कल्पना की गयी है, उस सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय नहीं होगा, तो उसको सामाजिक न्याय मिलने वाला नहीं है। पहली जरूरत आर्थिक न्याय की है। आर्थिक न्याय में उसे कितनी सम्पन्नता आती है, वह देखने वाली बात है।

शिक्षा के बारे में, जो हमारे यहां समस्या है, माननीय सभापति जी चूंकि आप बहुत अच्छे विचारक भी हैं और सारी बातों का आप चिंतन करते हैं, तो इस दिशा में सोचने का अवसर है। आज शिक्षा सबको नहीं मिल रही है। एक की शिक्षा दीक्षा है और एक की समृद्ध है। एक बच्चा पूरे साल की फीस दो-तीन लाख रुपये देता है जबकि एक बच्चे के स्कूल में छत भी नहीं है। यह जो इतना अंतर दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, वह देश को समतायुक्त समाज बनाने के लिए नहीं हो रहा है। मेरी प्रार्थना होगी कि निश्चित रूप से ऐसे शिक्षा और रोजगार के प्रबंध करने के लिए लोगों को जो भत्ता दिया जाये, वह मजाक न हो जाये। वह भत्ता भी गुजारे लायक होना चाहिए। अब भत्ते से उसकी रोटी कैसे होगी, उसके परिवार की कैसी स्थिति होगी, यह सब आप देख लीजिए। उसके बाद जो तकनीकी बातें हैं, उस पर अच्छी बहस करें। उस बहस के जो निÂष्कर्ष निकलेंगे, वे सब ठीक हो जायेंगे। आजादी का मतलब यह है कि उस गरीब आदमी तक आपकी सरकार पहुंचनी चाहिए। इसलिए यदि आजादी के बाद कुछ बदलाव आया है, वह दिखाई देना चाहिए इसलिए बुलंद वायदों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे?[MSOffice21]

बड़े-बड़े नारे कि गरीबी हटाएंगे, उनका क्या फायदा, क्या मतलब है उसका।

बुलंद वादों की बस्तियां लेकर हम क्या करेंगे,

हमें हमारी जमीन दे दो, आसमां लेकर क्या करेंगे।

इसलिए हमें वह चाहिए जो सच्चाई है, जो अच्छा है, जिससे हर आदमी के लिए समृद्धि आए - आप सभी को रोजगार देने का प्रबंध करें। प्रशिक्षण देने की बात आपने कही है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके लिए आपको प्रबंध करना चाहिए जिससे धीरे-धीरे करके सभी लोगों को स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का अवसर मिल सके।

यह विधेयक लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा करने का समय समाप्त हो गया है, लेकिन अभी हमारे पास तीन माननीय सदस्यों के नाम हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए अगर सदन की इच्छा हो तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

चौधरी लाल सिंह : महोदय, जीरो आवर भी होना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है। वह इसके बाद लिया जाएगा।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे देश के बेरोजगार लोगों के बारे में चिन्ता जाहिर की है।

महोदय, आज हमारे देश को आजाद हुए लगभग 60 साल हो रहे हैं। देश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जनसंख्या का 40 प्रतिशत युवा हैं, लेकिन साथ ही आज यह दुख की बात है कि जहां हम युवाओं का देश कहलाने जा रहे हैं, वही युवा वर्ग बेरोजगारी से जकड़ा हुआ है। आज अपराध, आतंक, ड्रग्स लेने आदि जैसी जितनी भी गलत चीजें हैं, उनको इस बेरोजगारी से बढ़ावा मिल रहा है। आपने बेरोजगारी पर चिन्ता जाहिर करते हुए बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात कही है, मैं उसे इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं मानती हूँ। मैं विधेयक का समर्थन करना चाहती हूं, लेकिन मैं यह मानती हूँ कि यह एक अस्थायी समाधान है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी जैसी इस भीषण और भयंकर समस्या का मुख्य कारण हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है और उस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से इसे नियंत्रित किया जाए। आज चाहे आतंकवाद हो या दूसरे अपराधों का मामला हो या चाहे जिस आपराधिक गतिविधि का मामला हो, उसके पीछे 60 से 70 प्रतिशत कारण यह बेरोजगारी ही है। इसके साथ ही हमारे देश की शिक्षा नीति भी दोषपूर्ण है। दसवीं कक्षा तक बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि उसे क्या करियर चुनना है, किस दिशा में जाना है। जब तक वह इस दिशा में सोचना शुरू करता है, वह 18 साल का हो चुका होता है। अगर वह किसी अमीर का बच्चा हो तो उसके घर में उसका बिजनेस मिलेगा, लेकिन अगर वह गरीब का बच्चा हो ता वह धीरे-धीरे भटकना शुरू करता है। सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा नीति को बदलना जरूरी है, क्योंकि हमारे बस्ते भारी होते जा रहे हैं, बुक्स भारी होती जा रही हैं, एक के बाद एक नए विषय जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारी शिक्षा हमें मंजिल की ओर नहीं ले जाती है, हमें सामजिक शिक्षा नहीं दे पा रही है। आज जो दसवीं कक्षा का बोर्ड है, उसका क्या मतलब रह गया है? आज यह केवल एक हौव्वा बन गया है और बहुत से बच्चे अच्छे अंक नहीं आने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इस परीक्षा का क्या महत्व है, यह आज तक मुझे समझ नहीं आया। दूसरी तरफ विदेशों की शिक्षा देखें, वहां बहुत छोटी उम्र में यह देख लिया जाता है कि बच्चे का इंट्रेस्ट किस ओर है और उसे उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहां जब तक बच्चा यह सोच पाता है कि उसका इंट्रेस्ट किस ओर है, उसकी काफी उम्र निकल चुकी होती है। इसलिए हमारे देश की शिक्षा नीति को बदलना बहुत जरूरी है।

एक तरफ यह शिक्षा नीति है और दूसरी तरफ शिक्षा की असमानता है। एक गांव के बच्चे के लिए उपलब्ध शिक्षा और एक शहर के बच्चे के लिए उपलब्ध शिक्षा, एक अमीर के बच्चे और एक गरीब बच्चे के लिए उपलब्ध शिक्षा में जो असमानता है, वह भयंकर और भीषण अपराध की ओर धकेलती है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। देश में माइनॉरिटीज के नाम से विभिन्न इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। बिहार में ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो माइनॉरिटीज के नाम से खोले जाते हैं, एससी के नाम से खोले जाते हैं, लेकिन जब तक 30 लाख रूपए डोनेशन के रूप में उस कॉलेज को नहीं दिए जाते हैं, उनको वहां एडमिशन नहीं मिलता है। यह उनके साथ एक मजाक है। मैं यह कहूंगी कि अगर आपकी तरफ से इसकी जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि कितने ऐसे कॉलेज हैं। माइनॉरिटी कॉलेज किसी जगह पर इसलिए खोला जाता है क्योंकि वहां माइनॉरिटी के लोग हैं।[R22] लेकिन वहां माइनौरिटीज के 15 बच्चे भी नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि वे डोनेशन देने में असमर्थ होते हैं। धीरे-धीरे उन्हें किस तरह से लीगल वे में फंसाकर दाखिला नहीं दिया जाता, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए अमीरी-गरीबी का जो गैप है, यह भी बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है। यदि हम बेरोजगारी और युवाओं के लिए चिंतित हैं, तो हमें सबसे पहले शिक्षा को बदलना होगा और आबादी पर कंट्रोल करना आवश्यक है। आज आतंकवादी घटनाओं में भी कई युवा बेरोजगारों का हाथ होता है, जो कि मजबूरी में इस क्षेत्र में आते हैं।

सभापति महोदय, अगर आपका यह बिल पास होता है तो एक तरफ हम बेरोजगारों को एक हजार रुपया भत्ता देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि कई ऐसे अपराध हैं, जिनमें अथाह पैसा लोगों को मिल रहा है। इस कारण युवा उस ओर उन्मुख होकर रास्ते से भटक रहा है। एक हजार रुपए में इस महंगाई के जमाने में क्या वह अपना भरण-पोषण कर पाएगा, इस पर भी हमें सोचना होगा।

हमने देश में रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कानूनी रूप दिया और उसे लागू किया है। लेकिन हमारा इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि हमने योजना तो शुरू कर दी, उसे सही रूप में सार्थक नहीं कर सके। आप बिहार में ही देख लें, वहां कई ऐसे जिले

हैं और गांव हैं, जहां पानी की जरूरत नहीं है, फिर भी मिट्टी का काम लोगों को दिया जा रहा है। इससे न तो काम सार्थक होता है और न ही हर व्यक्ति को रोजगार मिल पाता है। यदि हम वास्तव में बेरोजगारी की समस्या को देश से मिटाना चाहते हैं, तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, यह देखना होगा। हमने वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखें तो पाएंगे कि लाभार्थी को छः महीने से साल तक पैसा नहीं मिलता है। जिसे एक हजार रुपए मिलते हैं, उसे अंगूठा लगाकर मात्र दो सौ रुपए थमा दिए जाते हैं। इस तरह से करोड़ो रुपयों की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से अमल में नहीं लाया जा रहा है। आज देश में भ्रष्टाचार जड़ जमा चुका है। जब तक इसे कम या दूर नहीं किया जाएगा, तब तक कोई योजना सफल नहीं होगी और न ही समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय, मैं आपकी सोच का समर्थन करती हूं कि यह एक गम्भीर चिंतन का विषय है। कुछ सालों में हमारा देश युवाओं का देश हो जाएगा। उस समय हम मात्र एक हजार रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देकर कैसे इस समस्या को हल कर पाएंगे, यह समझ से परे है और तब क्या इतनी राशि से हम युवाओं को रिझा सकेंगे, इस पर भी हमें विचार करना होगा।

एक तरफ हम बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम सेज़ जैसी नीति का समर्थन कररहे हैं। सेज़ को हम देश में लागू कर रहे हैं, उससे क्या लाभ हो रहा है, इसे भी देखना होगा। पंजाब में ऐसे बहुत से उदाहरण हुए कि जिन किसानों की जमीन सेज़ के लिए ले ली गई, तो कई किसान बेरोजगार हो गए। जो किसान 24 घंटे मेहनत करके, अपना पसीना बहाकर खेती करता है, उसकी जमीन सस्ते दामों में लेकर हम पूंजीपतियों को दे दें, तो फिर किसान का भला कैसे होगा। सेज़ के लिए हमने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि जो शेयरधारक हो, जिसकी जमीन ली गई हो, जिसका परिवार सात-आठ सदस्यों का हो और खेती करना उसका मिशन हो, तो उसे और उसके परिवार वालों को कैसे रोजगार देंगे।

अगर हम सही अर्थों में बेरोजगारी के प्रति चिंतित हैं कि यह कैसे जाए तो हमें सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए विधेयक लाना चाहिए, जिससे हम आबादी पर कंट्रोल कर सें। आप एक हजार रुपया भत्ता देने सम्बन्धी बिल लाए हैं, कल जब जनसंख्या विकराल रूप ले लेगी, तो हम कितने लोगों को घर में बिठाकर उनका भरण-पोषण कर पाएंगे, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए सबसे जरूरी है कि शिक्षा नीति में सुधार और जनसंख्या पर नियंत्रण। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमें खेलों को भी एक अनिवार्य विषय के रूप में लेना चाहिए। देश में आज जो माहौल बन रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, स्पोर्ट को अनिवार्य विषय बनाकर उसे स्कूल्स में लागू किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं का चरित्र निर्माण हो सके। यदि चरित्र निर्माण नहीं होगा, हम उन्हें कब तक बिठाकर खिलाते रहेंगे। आज कई अपराधों के करने पर करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, जिससे बेरोजगार युवा उस ओर आकर्षित होता है। इसलिए यह एक गम्भीर चिंतन का विषय है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा प्रस्तुत इस बिल का समर्थन करती हूं और आपकी सोच का भी समर्थन करती हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Mr. Chairman, Sir, I am happy that you have introduced a Bill on a very important problem that the country is facing. It is a Constitutional amendment by which you are suggesting that every able-bodied person should be provided with a gainful employment. If the Government feels doing so, you are suggesting that they should be provided unemployment allowance.[r23]

Now, Sir, I would like to present some of the eloquent facts before this House. These are the facts given by the journal *Yojana* of the Planning Commission. It says that unemployment in the country today is variously estimated between 250 million and 300 million. That is the magnitude of unemployment. The journal also says that annual addition to this unemployment is 35 million to 40 million. So, it is growing every year. The journal also says that the generation of job opportunities every year is just 30 million jobs. So, that is to say, if we go at this rate, unemployment in this country will increase more steeply as years pass by. This is the situation. In this situation, if you have to find a solution to the problem of unemployment, the Government will have to find some way, and they should create 60 million to 70 million job opportunities every year. I do not think that the Government has any such plan.

Now, while concluding this discussion, we can all imagine that the hon. Minister will request you to kindly withdraw this Bill and will say that the Government will come with certain proposals. That is the fate of all these Bills. But I have a suggestion. The Government can suggest these things. If the Common Minimum Programme is taken up seriously and two Programmes are implemented, I think, to a great extent, Sir, what you have demanded in your Bill could be met. One is the Employment Guarantee Scheme. If that is seriously implemented throughout the country, Sir, it will partly meet the requirement of what you are seeking for. It guarantees 100 days' employment to an individual. If employment for 100 days is not given by the Government, then unemployment allowance is also guaranteed. That is for one individual in a family. But today, even that Scheme is implemented only in 300 districts. Another 300 districts in the country are not having even that programme. So, if the Government is serious, while replying, I would expect that they will give an assurance to this
House that at least the Employment Guarantee Programme will be implemented in all the districts of the country. Immediate steps may be taken by the Government. If that is done, it would partly meet your demand.

Another thing is what the Common Minimum Programme has promised, that is about the Bill in respect of unorganized labour. The Minister in-charge of the Labour Ministry promised this House, and our Parliamentary Affairs Minister promised long ago and said that this Bill would be coming. The Government has not yet listed that Bill. I am mentioning the Bill in respect of the unorganized workers' welfare. That is what the Common Minimum Programme has said. That has not yet come. This Planning Commission journal talks about the situation of the unorganized sector people. It says that about 90 per cent of the workforce is in the unorganized sector. [R24] Nobody knows what they get. There is no legislation protecting them. Even after hard labour throughout the day, there is no guarantee of any welfare measures including pension. Taking that into account, the Government said that they would bring a Bill, which will protect them. But now, that Bill is still a distant dream. You promised that it is coming, but it has not been listed. I am saying, Mr. Minister that if you promise to bring the Government Bill, while replying and requesting the Member to withdraw his, it would be a one step ahead that you are making. Sir, these are some of the important areas of problems on which the Government can take positive steps.

Now, understandably, there is a problem of healthcare. In this country, healthcare is still not up to the mark. But we have a large number of doctors, who are unemployed. Still larger is the number of nurses being unemployed. If some girl passes a BSc(Nursing) degree, she seeks employment abroad. In this country where there is a crying need for healthcare, the Government is not spending sufficiently to meet that requirement. If that requirement is made properly, then you can provide a large number of employment to educated doctors, educated nurses and health workers. But in that way, probably the Government's thinking has not yet come to meet this requirement of the people.

Sir, another important area is education. This country even today, is illiterate. I do not minimise the achievements the Government has made in the field of literacy. But the Planning Commission's Journal says that 'today, India is a country having 50 per cent of its population below the age of 25 years.' It is an asset. Economists say that it is a demographic dividend. But it becomes a curse when they are not trained to do any useful job.

Last time also, I mentioned about the I.T.Is that the I.T.Is in this country are to be strengthened; they should be more widespread so that you can train skilled labour in the country.

But, Sir, the *Yojna*, the Planning Commission Journal, also says that 'out of the 4,500 I.T.Is in this country, still there is underutilisation.' That means, we are not getting the people to be trained. It is not that people are not there. Either they are not having sufficient money to go there or due to some reasons, they are not going there. Secondly, they say that 75 per cent of the money spent on the I.T.Is have been spent on salaries. This means, 25 per cent is the money spent on education. This should be reversed. Only then, we would be doing justice. I am not saying that teachers should not be paidâ€¦

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI OSCAR FERNANDES): The basic element of education is the role of a teacher. Among all other things, teacher is the major requirement for education.

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): Of course, the teacher is very important. You pay him well, but then what is required is that you have to spend more in that sector so that the teacher is paid, the student is supported and the institution is utilized. But what is happening today is that the teacher is paid well, which is okay also, but the institution remains underutilized. The number of institutions, which you have -- considering the requirement of the country − is still far less than satisfactory. [r25]So, there should be a new policy in the field of education and training to meet this problem of trained personnel.

Sir, I will not speak for a long time. Now, there are areas where there is a fashion to say that IT industry is coming; and technology is developing. I can list a number of industries that they are suggesting. This week *The Week* magazine says, "Jobs are plenty but no people to do the jobs because of lack of training." But where we will give emphasis, is an important thing. I am not against modern industrialists coming up or stylish development taking place in the IT sector.

But if SEZ is a solution that you are seeking, then I would say this. They say 15,000 jobs were created by SEZ in 2007. *Yojana* says this. They say: "Another 8.9 lakhs of employment will be created by SEZ in the coming three years." But even if we take it that 10 lakhs of employment they generate in the next three years, every year we are facing 30 million people in the employment market seeking jobs. The new job seekers are 30 million. So, where will you give emphasis while spending money or resources?

I say that you have to give a lot of money for the revamping of our agricultural economy, agrarian sector where suicide is taking place. Mass suicide is taking place there. If the agrarian sector is content and if the rural people are provided employment, this will greatly benefit the unorganised sector. Even today India's 90 per cent of the job is done by unskilled, unorganised sector workers. They are largely in the rural sector and agrarian sector. That area has to be taken special care of so that you can get maximum employment

generated and people could be provided with employment there. There should be special schemes for that.

And, lastly, I will say that I have mentioned this once before that there is a scheme which will appear to be very attractive. It is the scheme of inviting foreign investment in the retail trade. They say it will create a lot of jobs. They say there are possibilities of creating a few lakhs of jobs there but millions and millions of people, who are presently employed in that sector, are displaced. They are thrown to the streets. They become beggars. If a few million jobs are created by this way, then that is not a good planning. I would request you to have a second look at the invitation of foreign investment in that sector creating big malls and all that.

Then, there is SEZ also. SEZ will create limited number of stylish jobs. There is no doubt about it. But the Parliamentary Committee on Commerce itself recommended to the Government that a second look is absolutely necessary on that plan. Looking at the resources we are losing by creating SEZ, its paltry contribution to the field of employment that it is generating, the land that is being utilised for that, and the way the peasants are thrown to the streets without any future for them--all this puts together, the SEZ requires a second look. Only with that kind of a changed attitude towards the economic planning, your dream will come true. Otherwise, very nice promises will be made. Very politely they would request you to withdraw this Bill but nothing will happen. So, I hope, the Government will take seriously two or three measures that I suggested. Thank you once again. I thank him for moving this Bill. [MSOffice26]

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपसे यहां से बोलने की इजाजत चाहता हूं। दूसरे मैं श्री मोहन सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं, जो अभी सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपने राइट टू इम्पलॉयमैन्ट के लिए कांस्टीटयूशन अमैन्डमैन्ट बिल, 2004 सदन में पेश किया है, इसके लिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा सदन, देश के नौजवान और देश के सभी निवासी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे देश की एक ज्वलंत समस्या को सदन में पेश किया है। जैसा कि यहां स्टेटमैन्ट ऑफ ऑब्जैक्ट एंड रीजन्स में लिखा गया है -

> "Unemployment is emerging as a major problem in India. The provisions in the Directive Principles of the State Policy relating to employment to all cannot be fulfilled until this is made the fundamental right of the citizen."

इससे मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि संविधान में हमारे देशवासियों का यह फंडामैन्टल राइट हो कि उसे इम्पलायमैन्ट मिले।

> "The number in the identifiable unemployment in India is more than four crore."

मैं समझता हूं कि जो चार करोड़ का आंकड़ा दिया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 120 करोड़ लोगों की आबादी में यह इससे अधिक होगा, जिनके लिए यह सदन हमेशा से चिंतित रहा है और आपके द्वारा बिल लाये जाने के बाद यह एक चिंता का विषय होने के साथ-साथ विचारणीय विषय भी होगा।

> "But the State Administration has no concern for these unemployed youth which has given rise to criminal tendency among them and every other day they are either committing suicide or indulging in the criminal activity."

महोदय, यह बात सही है कि यदि हम अपने देश में देखें तो चारों ओर अनइम्पलायमैन्ट की समस्या है, जिसकी वजह से हमारे यहां नये-नये आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, जिनसे आज सारा देश जूझ रहा है। हमारे देश में बॉर्डर पर माओवाद बढ़ता जा रहा है। बहुत समय से नक्सलवाद चल रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि लोगों को ह्यूमैन बॉम्ब बनाकर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। सिर्फ पैसे के लिए एक मानसिकता के तहत बच्चों को मरने के लिए ट्रेन्ड किया जाता है। उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया जाता है और वे ह्यूमैन बॉम्ब के रूप में तबाही करने के लिए आमादा हो जाते हैं। आज देश में चारों तरफ क्राइम बढ़ रहे हैं। चोरी, डकैतियां होती हैं, रोड्स हैल्ड अप होती हैं, रोड्स पर मोटर, कारें लूटी जाती हैं और लोगों को मारा जाता है। इसके अलावा ट्रेनों में डकैतियां होती हैं, घरों में चोरियां होती हैं। यदि इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो इनके पीछे सारे यूथ्स होते हैं। यदि ये लोग पकड़े जाते हैं और उनकी जांच की जाती है तो वे पढ़े-लिखे यूथ्स होते हैं। आजकल टी.वी. में तरह-तरह के प्रोग्राम्स आते हैं, जिन्हें देखकर, उनसे योजनाएं तैयार करके बैंक डकैतियां, चोरियां, ट्रेनों में डकैतियां आदि क्राइम किये जा रहे हैं और ये सब अनइम्पलॉयमैन्ट की वजह से हो रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि इन क्राइम्स में केवल लड़के ही शामिल नहीं होते है, बल्कि लड़कियां भी शामिल होती हैं।

सभापति महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, उस पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए और इसे जल्दी हल किया जाना चाहिए। सदन में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हुई है। इसके अलावा इसमें लिखा है [b27]-

17.00 hrs.[s28]

It is also mentioned that:

"It is difficult to make social equality a reality unless the problem of unemployment is solved. In such a situation, the State should make its administration frugal and the money saved thereby should be distributed as unemployment allowance so that the youth can be involved in constructive activities."

यह बात सही है कि जो बेरोजगार युवक हैं, उनको प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए जिससे वे जब तक नयी नौकरियां न ढूंढ़ लें, उनको कुछ न कुछ मदद मिलती रहनी चाहिए। इसके अलावा मैं इस सदन में यह भी मांग करूंगा कि हमारे यहां जो शिक्षा है, केवल बी.ए., एम.ए., एमएससी, एलएलबी, और एलएलएम बच्चे करते हैं लेकिन वे फिर भी बेरोजगार रहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम टैक्नीकल एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। हम एक जिले में एक आईटीआई बनाते हैं। हम उसे क्यों नहीं प्राइवेट सैक्टर में दें क्योंकि आज हमें जरुरत है कि हम बच्चों को टैक्नीकल एजुकेशन देकर उन्हें बढ़ावा दें, जैसे वैल्डर्स, मोल्डर्स, कारपेंटर्स, पेंटर्स, इलैक्ट्रिशियन्स, मेसन्स, पलम्बर्स इत्यादि हैं, इनकी भी अगर ट्रेनिंग दें तो जो हमारे मध्यम वर्ग और गांवों के बच्चे हैं, अगर तकनीकी शिक्षा उनको मिलती है तो वे शहर में जाकर काफी पैसा कमा सकते हैं। आज अगर हम इलैक्ट्रिशियन्स को घर पर बुलाते हैं तो एक काम करने का वह कम से कम सौ रुपया लेता है। अगर वह दस जगह जाएगा तो दिन में करीब एक हजार रुपया कमाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे और न केवल आईटीआईज सरकारी हों, उनको प्राइवेट सैक्टर में भी लाइसेंस दिये जाने चाहिए जिससे उन बच्चों को तकनीकी शिक्षा से तैयार किया जाए और विदेशों में उनको फ्रीली जाने दिया जाना चाहिए। अगर हम अपने देश में उनको रोजगार नहीं दे सकते तो क्या कारण है, उनको हम विदेशों में जाने से क्यों रोकते हैं? उनको विदेशों में जाने दिया जाना चाहिए। वहां वे रोजगार प्राप्त करेंगे। जब हमारे देश के बच्चो को नौकरियां मिलेंगी और हमें फॉरेन एक्सचेंज देश में वापस कमाकर वे लाएंगे जिससे देश को फायदा होगा। इस तरफ भी हमारी सरकार को सोचना चाहिए।

इसके अलावा आज हम देखते हैं कि आजादी के करीब 60 वर्ष हो गये हैं। आज भी हमारे देश के लोग फुटपाथ पर रात बिताते हैं। आज भी लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर हम स्लम्स एरिया में जो कि बेहद गरीब हैं, उनको भी तकनीकी शिक्षा देकर तैयार कर सकें तो यह भी समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हमने बहुत सी जगह देखा है कि वे बच्चे जो भूखे हैं, जिन्हें एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, जहां पर कूड़ा डाला जाता है, वहां पर जानवरों की तरह उन्हें उस कूड़े में से रोटियां निकालकर, झूठन निकालकर उनको खाते हुए खुद मैंने देखा है। यह बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। आज इसके लिए सरकार को इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि हम उन्हें प्रोटैक्शन दे सकें, हम उन्हें वजीफे दे सकें, हम उन्हें पढ़ा सकें, उनको रोजगार गारंटी के प्रोगाम्स दे सकें जिसमें हम उन यूथ का भविष्य आने वाले समय में एक अच्छे भविष्य में परिवर्तित कर सकें।

जहां तक नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात है, आप जानते हैं कि यह योजना अभी भारत सरकार लाई है मगर अभी कुछ दिनों पहले टी.वी. पर मैं एक कार्यक्रम देख रहा था। हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी देखा होगा कि उसमें जो उन्होंने बताया कि जो लोग उस गांव में नहीं रहते हैं, उनके भी कार्ड बने हुए हैं। जो लोग गांवों से बाहर डर के मारे जा रहे हैं, उनसे उन लोगों ने पूछा कि आप गांवों को छोड़कर क्यों जा रहे हैं?[r29][r30]होंने कहा कि यहां के प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी कर्मचारी उन्हें डराते हैं कि यहां से भाग जाओ। कई फर्जी कार्ड्स बने हुये हैं। जो पैसा गरीब लोगों को जाना चाहिये, वह उन्हें नहीं मिल रहा है। फर्जी मस्टर रोल बनाकर पैसे का भुगतान किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जो रोज़गार संबंधी योजनायें हैं, उनके लिये एक मौनिटरिंग कमेटी बनाई जाये और इस संबंध में छापे डाले जायें। जो प्रोग्राम टी.वी. पर आया, उसे सारे देश के लोगों ने देखा है। जो पैसा भारत सरकार गरीबों के लिये दे रही है, वह उन्हें न मिलकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। हम नये भारत का निर्माण कैसे कर पायेंगे, हमारी जो कल्पनायें हैं, हमारी सरकार ने जनता से जो वायदे किये हैं, उन्हें कैसे पूरा कर पायेंगे? इस प्रकार की शिकायतें एक जगह से नहीं बल्कि अनेक जगहों से आ रही हैं। इसलिये, मैं इन बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मुझे य़ाद है कि जब स्व. राजीव गांधी 1984 में भारत के प्रधानमंत्री थे और मैं लोक सभा का सदस्य था, उस समय पैप्सी ओर कोका कोला को लाइसैंस देने की बात हुई थी। उन्होंने फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री बनाई जिसके पहले मंत्री श्री जगदीश टाइटलर थे। उस समय यह शर्त रखी गई थी कि जो भी विदेशी कम्पनियां यहां आयेंगी, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर बेस्ड फैक्टरियां लगानी होंगी ताकि रूरल लोगों को एम्पलायमेंट मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी,फल या फूलों का उत्पादन होता है, उन से संबंधित उद्योग लगायेंगे तो ग्रामीण लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर टमाटर की पैदावार होती है तो टोमैटो कैचअप बनाने का काम होना चाहिये. आलू से चिप्स बनाने का काम होना चाहिये। इससे किसानों की फसलें सुरक्षित रहेगीं और लोगों को काम मिलेगा। अभी चौ. लाल सिंह जी ने जम्मू-कश्मीर में उत्पादित सेबों के बारे में जिक्र किया। सेब पहाड़ों पर होते हैं लेकिन मार्केटिंग पूरी नहीं है। इसलिये उन्होंने यह बताया कि सेबों का जूस बनाने का काम किया जाये। इससे किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी और साथ में लोगों को रोज़गार भी मिल सकेगा मगर उस दिशा में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पैप्सी और कोका कोला कम्पनियों को लाइसैंस दिये गये और फिर से वे पेय पदार्थ ही बनाते रहे। जो शर्त उन विदेशी कम्पनियों के लिये रखी गई थी कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपनी फैक्ट्रियां लगायेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे, वह काम नहीं हो सका।

सभापति जी, गांधी जी ने चरखे से सूत कातकर खादी का कपड़ा बनाना प्रारम्भ किया था। हमारी खादी ग्रामोद्योग की बैठक भी हुई जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आये थे। उसमें बताया गया कि एक साल में खादी ग्रामोद्योग का बजट केवल 7 करोड़ रुपये का है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस उद्योग को हम लोग गांवों में लेकर आये और चरखे से सूत कातकर गरीबों के लिये कपड़ा तैयार किया गया, वह उद्योग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति जी, मेरा कहना है कि आज गावों में खादी के नाम पर कोई उद्योग नहीं है। हम उस उद्योग को गांवों तक लेकर जायें ताकि लोगों को काम मिल सके। गांव में खादी उद्योग से संबंधित शहद उत्पादन भी है।[s31] वहां फलों के जूस हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। यदि हम वहां खादी

ग्रामोद्योग शुरू करें तो हम उसके माध्यम से गांवों में लोगों को रोज़गार दे सकेंगे और देश के लोगों को गांधीजी द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, जिसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, वह पूरा कर सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि बेरोज़गारी भत्ते पर भी विचार करें। यदि हम पुलिस की बात करें तो 800 से 1000 की जनसंख्या पर एक पुलिस वाला है। क्यों नहीं भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें बैठकर तय करती हैं कि हम पुलिस फोर्स को बढ़ाएंगे जिससे हमारे लोगों को रोज़गार मिले। इसके अलावा सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, आरपीएफ है, यदि आप इसमें तथा सैन्ट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट में देखें तो रोज़गार बिल्कुल बंद है या बहुत कम रोज़गार है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट और स्टेट गवर्नमैंट्स में कोआर्डिनेशन करके इन फोर्सेज़ में लोगों की भर्ती बढ़ाई जाए जिससे हमारे नौजवानों को इन फोर्सेज़ में सैन्ट्रल गवर्नमैंट में और प्रांतीय सरकारों में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध हो सकें, जिससे कि हम देश की सुरक्षा और इंटरनल सिक्यूरिटी की जो बात करते हैं, उसमें ज्यादा सिक्यूरिटी मिले और लोगों को रोज़गार भी मिले।

अंत में मैं एक बात और रखना चाहूंगा कि जो जनसंख्या कम करने पर, पॉपुलेशन पर स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें गति आई है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को उनके साथ कोआर्डिनेशन करके इस प्रोग्राम को दोबारा हाइलाइट करना चाहिए, टीवी पर प्रोग्राम देना चाहिए, उनको इंसैन्टिव्स देने चाहिए। केवल दो बच्चों के लिए प्रमोशन दिये जाएं, उनको कुछ इनक्रीमैंट दिये जाएं, उनको ईनामस्वरूप कुछ दिया जाए जिससे इन स्कीम्स का प्रचार प्रसार हो और हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतवर्ष हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। आज हम एटॉमिक एनर्जी पर जो एग्रीमैंट कर रहे हैं, उससे हम पावर जनरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी प्रगति की बैकबोन है। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता।

अभी जापान का डैलीगेशन आया था। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां बेरोज़गारी का क्या परसैंटेज है। उन्होंने कहा कि केवल चार प्रतिशत उनके यहां बेरोज़गार हैं। अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर ने 60 हज़ार करोड़ का निवेश करने की बात कही है जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र होता हुआ मुम्बई तक बनेगा। इसमें न जाने कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, कितना निवेश होगा। इनके लिए अगर पावर नहीं होगी तो हम कैसे इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट करेंगे? अगर इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट नहीं होगा तो रोज़गार कैसे मिलेगा? इसलिए आज आवश्यकता है कि हम इस तरह का कार्य करें जिससे हम ज्यादा से ज्यादा रोज़गार प्रदान कर सकें। अंत में मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती उषा वर्मा (हरदोई) : माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा रखे गए इस विधेयक का भरपूर समर्थन करती हूँ। इस विधेयक के माध्यम से आपने देश की ज्वलंत समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। इस देश में बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। आज का पढ़ा-लिखा नौजवान, अपनी डिग्रियां लेकर दर-दर भटक रहा है। बेरोज़गारी की समस्या कोई एक-दो दिनों में समाप्त होने वाली समस्या नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो माता-पिता हैं, वे आधी रोटी खाकर, एक वक्त का खाना खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यह सोचकर कि यह बच्चा पढ़-लिखकर हमारा सहारा बनेगा। [H32]

हम देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इसके लिए शिक्षा नीति को सुधारने की आवश्यकता है। हमारे जो बच्चे हैं, वे आज बीए, एमए की डिग्री लेकर दर-दर भटक रहे हैं। शिक्षा नीति को सुधारने के लिए हाई स्कूल के बाद ही बच्चों की क्षमता को पहचान कर, उन्हें आज तकनीकी शिक्षा देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उसके साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसलिए आज जनसंख्या पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र से ऐसे-ऐसे नौजवान हमारे पास आए हैं, जिनके पास बीए, एमए की डिग्री है, लेकिन वे आज चतुर्थ श्रेणी की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। जब हमने उनसे पूछा कि चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए कितनी शिक्षा जरूरी है तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कक्षा आठ तक की पढ़ाई जरूरी है। वे लोग अपनी बीए, एमए की डिग्री को हटा कर हाई स्कूल या कक्षा आठ का प्रमाण-पत्र लाकर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं।

आपने जो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है, इसका मैं भरपूर समर्थन करती हूं। हमारे देश में पढ़े-लिखे नौजवानों के सामने एक अन्य समस्या है, क्योंकि जो कम पढ़ा-लिखा बेरोजगार होता है, वह अपने जीवनयापन के लिए छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार रहता है। वह जूता पॉलिश भी कर सकता है, सब्जी भी बेच सकता है और अखबार बेच कर भी अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है, लेकिन जो हमारे पढ़े-लिखे नौजवान हैं, वे छोटे-मोटे रोजगार नहीं कर पाते हैं और कुंठित होकर अपराध करने की ओर बढ़ते हैं।

महोदय, मैं यह कहूंगी कि बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आपने जो यह प्रावधान इस विधेयक में रखा है, इस बिल में प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपए देकर बेरोजगारों को जो भत्ता देने की बात कही है, मैं इसका भरपूर समर्थन करती हूं। आज विशेषकर बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने की, शिक्षा नीति को सुधारने की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करती हूं।

DR. PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR) : Sir, India is an old nation, but a young country. In a country of 100 crore people it is very rare to see 50 crore people below the age of 25. So, we have a huge force of youth. Unless this huge force is properly engaged, it will spell doom for our nation. Youth unrest gives birth to all kinds of extremism like Naxalism, etc. Patriotism will be

replaced by violence and mayhem.

Sir, youth is the time for love and poetic fantasy. Every young man gets spell-bound by the beauty of the moon. When his heart pines for the moon, his feet get burnt by the fire of stark reality. And that reality is poverty, squalour and deprivation. The youths of Orissa leave their native land in search of livelihood. They end up being migrant labours. In urban area, parents dream of their children being educated and subsequently becoming doctors and engineers etc. They sale their ancestral land for the education of their children. Sir, as you know, getting admission in a good technical college may cost as high as 50 lakhs. Even if the children manage to pass with high percentage, they do not get a suitable job and leave the motherland in search of greener pasteurs. They go to USA and London and eventually settle there. The parents are left all alone. This is the reality of today's India.

Sir, unless the Government announces allowances for the unemployed youths, all the tall claims of welfare measures will fall flat. For the very survival of our country, all these young men should either be properly employed or be given some financial assistance. This is very essential for the self-respect and dignity of our nation. The same sentiment was echoed by Gandhiji.

Sir, the condition of the youth can be well imagined if we compare them to a imprisoned convict. As a jail inmate a convict is entitled to some food, clothing

* Translation of the speech originally delivered in Oriya

and shelter, whereas the youth outside is enchained with hunger and poverty. If the youths do not get the basic necessities of life, they will be definitely tempted to break the high walls of prison and prefer to stay there. All the political parties must realize this. Just by merely drafting meaningless manifestoes and promising the moon to the hapless youths in exchange of their votes, they are doing a great disservice to the nation.

Sir, we are virtually sitting on the top of a volcano, which may erupt anytime. Hence, I request all concerned that the young men of this country must be given a better deal by way of unemployment allowance.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा भाषण देते हुए उड़ीसा की समस्या को सदन में साकार किया है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, श्री मोहन सिंह, माननीय सदस्य ने, सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री मोहन सिंह जी इस माननीय सदन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही इम्पौर्टेंट है। अगर देश को बचाना है, तो अनएम्पलाइड यूथ को एम्पलायमेंट देने की आवश्यकता है। एम्पलायमेंट एक्सचेंज में लोग नाम दर्ज कराते हैं, लेकिन उन्हें 4 साल, 5 साल, 10 साल और कभी-कभी 15 साल तक भी रोजगार हेतु कॉल नहीं आती है। जहां 1000 जगह होती हैं, वहां 4 लाख लोग एप्लीकेशन देते हैं। उसकी परीक्षा होती है और रिटिन एग्जाम में 4-5 हजार लोगों को पास कर दिया जाता है। बाद में पूरे लोगों को फेल करते हैं और खाली एक हजार लोगों को ही लेते हैं। मतलब यह है कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।

महोदय, मैं श्री मोहन सिंह के बिल का पूरा समर्थन करता हूं। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि तीन साल तक एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराने के बाद भी यदि एम्पलॉयमेंट नहीं मिलता है, तो उन्हें 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। ऑस्कर फर्नांडीज साहब आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। लेबर डिपार्टमेंट आपके पास है, लेकिन पूरा पैसा उनके पास है। जैसा कानून आप रूरल एरियाज में लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत रोजगार की गारंटी दी गई है, वैसा ही कानून आप अर्बन एरियाज के लिए भी लाएं। इसके साथ-साथ, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज बढ़ाने और यूथ को रोजगार देने की आवश्यकता है। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपके बिल का समर्थन करता हूं।

महोदय, देश में जो 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए कोई न कोई प्लान बनाने की आवश्यकता है। अब हमारी लोक सभा का कार्यकाल केवल डेढ़ साल बचा है, लेकिन उसका भी कोई ठिकाना नहीं है कि हम कब चले जाएं। इसलिए जब तक हम हैं, तब तक हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 10 साल का प्लान बनाकर ऐसी व्यवस्था करें कि सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए।

महोदय, हमारे उड़ीसा के लीडर ने बहुत जोरदार शब्दों में अपनी बात बताई है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि गुप्तकाल में हमारे देश में पूरी दुनिया के लोग आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, लेकिन अब हमारा देश पूरी दुनिया में जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अनएम्पलायमेंट बहुत बढ़ गया है। आजादी के 60 साल बाद भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है, इस पर हमें गम्भीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। हम देश में धीरे-धीरे एम्पलायमेंट बढ़ा रहे हैं। पहले छः साल के लिए एम्पलायमेंट था, उन्हें अनएम्पलायइड कर दिया गया। हमें तो केवल पांच साल के लिए एम्पलायमेंट मिला है। हमारे देश में जो बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए कोई न कोई अच्छा प्लान बनाकर रोजगार देने की आवश्यकता है। उस प्लान को बनाने पर यू.पी.ए. सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आपके बिल का पूरा सपोर्ट करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है। यहां पर हर बिल पर चर्चा बहुत अच्छी होती है और हम बड़ी जोर-जोर से बात भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। जब इलैक्शन आता है, तब भी हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम यह देंगे, हम वह देंगे, लेकिन जीतने के बाद हम सब बातों को भूल जाते हैं। प्रियरंजन दासमुंशी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमें दुबारा पांच साल के लिए आना है, तो देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई अच्छा प्लान बनाना होगा और उन्हें रोजगार देना होगा, तभी हमें भी पांच साल आगे के लिए एम्पलायमेंट मिल सकता है।

[r33]

SHRI GIRIDHAR GAMANG (KORAPUT): Mr. Chairman, Sir, I do not want to take much time except to say that the problems faced by the people in the hilly areas and the tribal areas are increasing, though there is a scheme in the Government of India to be provided to the States and which should have been implemented by the States . They are not able to allocate the funds in time and execute the scheme.

17.26 hrs.

(Shri Varkala Radhakrishnan *in the Chair*)

Recently, there was a problem in my constituency, that is Koraput Constituency; there were two districts which were affected by some diseases and they are spreading. On the one side, they are saying that it is due to the non-availability of health network in those remotest areas and so, people are dying. But then, there is another problem which is important; and that is, the food-grains are not available because of non-availability of different schemes in those areas, which are to be executed by the State Governments through the District Collectors.

So, on the one side, we have starvation due to non-availability of food and on the other side, we have death due to diseases. These two are the problems which are linked to employment, which should have been the target area, especially in the tribal and hilly areas.

Another point which is there in our mind is this − education should be linked with employment. There are three types of education − one is, education for head, that is, knowledge; second is education for hands, that is, technical education; and the third one is education for hearts, that is, the attitudinal change. So, the three 'Hs' of education will have to be tied in such a way that at least those who are unemployed will get some employment and those who are not educated will go for wage earning under different schemes.

Recently, the Prime Minister has announced a number of educational plans for the future of the country. All those universities and ITIs or the others which are listed in the Plan Scheme, they should be earmarked and there should be adequate funding for the backward areas which are actually backward in the country. Unless that is done, whatever may be the announcements that are there, the backward areas in the country and the tribal areas in the States will be lagging behind for want of execution in the country.

Always we are confusing with two words − one is implementation and the other is execution. Implementation will be the 'policy implementation' by the State Governments and the execution will have to be there in the district, block and panchayat levels. Originally, the implementation of policy is by the Government of India in the form of framing the policy, allocating the funds to the States, etc. But the money that is reaching the States will have to be provided to the districts and down below. This network will have to be strengthened by two things. One is by integration of all the resources which are being funded by the Centres and the State Government funding will have to be integrated with the levels down below, that is, districts and others, and there should not be any time-overrun in allocating the funds. Secondly, the administration also will have to be strengthened.

MR. CHAIRMAN : You can continue next time.

SHRI GIRIDHAR GAMANG : It will have to be strengthened in such a way that there is integration of all the Departments for executing the programmes.

MR. CHAIRMAN: You can continue next time.[MSOffice34]

17. 30 hrs.

POSTPONEMENT OF HALF AN HOUR DISCUSSION

MR. CHAIRMAN : Regarding Half-an-hour discussion, I have to inform the House that Shri Avinash Rai Khanna has requested the hon. Speaker to postpone the Half-an-hour discussion and the hon. Speaker has agreed to his request. So, if the House agrees, we will take up the 'Zero Hour'

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: So, we will take up the 'Zero Hour'. Before that, I would like to make a suggestion from the Chair. Private Members' Business is very important. Unfortunately, we are taking up this business on Friday. That is the position in almost all the Houses; State Assemblies and Parliament. We will have to consider advancing it to Wednesday because on Friday all the Members will be leaving.

I was watching the TV and I found all the benches empty and only the Minister and the Chairman were shown on the TV. It is none of the fault of the channel people. We are discussing the Constitution (Amendment) Bill. I will call it as a kind of trick on the Constitution. The constitutional amendment requires a specific and not an ordinary quorum. For passing the Constitution (Amendment) Bill there is a specific quorum mentioned in the Constitution. Without any of these provisions being followed, we are discussing this Constitution (Amendment) Bill to the convenience of the Private Members. This is the position. The entire country is watching it on TV.

Earlier there was no such live telecast. Now live telecast is there. The hon. Minister, the Chair and only a few Members are present. I was watching that on the TV and it is when we are discussing a Constitution (Amendment) Bill. I can understand it when an ordinary Bill is being discussed but we are discussing the Constitution (Amendment) Bill when at least semblance of Quorum should be there. The entire nation is watching that the House is discussing the Constitution (Amendment) Bill with a few people present. On watching the TV one could see that only a few people are present in the House. I am sorry.

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, the general tendency is a Member remains present when he has to speak. You can see a number of Members present now because they all have come to speak in the 'Zero Hour'....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Earlier, the live telecast was not there. I do not blame the channel people. It is not their fault. We are at fault. We do not have enough Members assembled here. They can show the Members on TV only when hon. Members are occupying their seats. When the House is more or lessempty what can the TV people do?

...(*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, let us continue with the 'Zero Hour'.

17.34 hrs.